14.10.24	पत्रावली पेश हुई उभय पक्ष उपस्थित प्रकरण में उभय पक्ष की बहस सुनी गई. प्रार्थी मैरा कार तहसील दार द्वारा प्रस्तुत प्रा.पत्र अ.धा. 84.86 का सिद्ध नही होने से खारिज किया जाता है, पत्रावली वास्ते फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो। विस्तृत आदेश पृथक से लिखा जाकर शामील पत्रावली किया गया।

न्यायालय सहायक कलक्टर (उपखण्ड अधिकारी) बेगूँ जिला चितौडगढ़ (राज0)
पीठासीन अधिकारी मनस्वी नरेश

प्रार्थना पत्र संख्या ::– 59/2009

राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार (भूमिधारी) बेगूँ जिला चितौडगढ़
प्राथी

बनाम

1. श्री ज्ञानमल पिता हीरालाल महाजन निवासी सोदर्शनपुरा तह0 बेगूँ
2. श्री प्रकाश पिता हीरालाल महाजन निवासी सोदर्शनपुरा तह0 बेगूँ
3. श्री सुरेश पिता हीरालाल महाजन निवासी सोदर्शनपुरा तह0 बेगूँ
4. श्री कैलाश पिता हीरालाल महाजन निवासी सोदर्शनपुरा तह0 बेगूँ
5. श्रीमति कंचनबाई बेवा हीरालाल महाजन निवासी सोदर्शनपुरा तह0 बेगूँ
6. श्री राजेश कुमार / निलेश कुमार , रितेश कुमार पुत्र रतनलाल मु0 श्यामाबाई बेवा रतनलाल रितेश ना0वा0 स.प. माता श्यामावाई मु0 सुन्दरबाई बेवा भंवरलाल 1/4, विजयकुमार , पारसकुमार पिता कन्हैयालाल मु0 कमलाबाई/ कन्हैयालाल 1/4 कंचनवाई बेवा हीरालाल 1/4, शांतिलाल पिता कजोडीमल 1/4 महाजन निवासीयान सोदर्शनपुरा
7. श्री अशोक कुमार पिता प्यारचन्द्र कोठारी निवासी बेगूँ

विपक्षीगण

उपस्थित ::– श्री तहसीलदार, बेगूँ
पैरोकार सरकार प्रार्थी
श्री सी0पी0शर्मा
श्री भोलेश भट्ट
अधिवक्ता विपक्षीगण

आदेश दिनांक ::– 14.10.2024

आदेश प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 84–86 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम

प्रार्थी तहसीलदार (भूमिधारी) बेगूँ की ओर से प्रार्थना पत्र प्रस्तुत करते हुए निवेदन इस प्रकार से किया कि मौजा कलयाणपुरा की आराजी नम्बर 3/4 रकबा 0.1940 हैक्टर, 0.2510 हैक्टर किस्म बीड लगानी भूमि अप्रार्थी संख्या 1 व 2 के नाम खातेदार हक से दर्ज रेकार्ड है। नकल जमाबंदी सम्वत 2064 से 2067 तक की संलग्न है।

यह कि अप्रार्थी सं. 3 ने मौजा कलयाणपुरा की आराजी 2 व 3/4 मे से तीन विलायती शिषु नीम का छोटा वृक्ष बिना स्वीकृति अवैध रूप से काट दिये है। अप्रार्थी संख्या 3 द्वारा हरे बबूल/ नीम को बिना स्वीकृति अवैध से कोटे गये जिसका अनुमानित वनज 2 क्विटंल है।

यह कि उक्त लकडी श्री ज्ञानमल पिता हीरालाल महाजन निवासी सोदर्शनपुरा को सिपुर्द की गई। मामला श्रीमान के क्षैत्राधिकार है यह मामला राज्यहित में होने से कोर्ट फीस से मुफ्त है।

अतः निवेदन है कि प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर अप्रार्थीयो को तीन विलायती शिषु बंबूल व एक छोटा नीम का वृक्ष बिना स्वीकृती काटने से दोषी करार कर जुर्माना आरोपित किया जावें। साथ ही जप्तशुदा लकडी को निलाम करने की आज्ञा दी जावे। अन्य दादरसी जो न्यायहित में व राज्य हित में हो प्रदान की जावे। प्रार्थना पत्र के साथ गवाह सूचि में श्री कालूराम गुर्जर पटवारी धामन्चा व श्री ज्ञानमल पिता हीरालाल महाजन निवासी सोदर्शनपुरा का नाम अंकित कर प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया।

प्रार्थी का प्रार्थना पत्र न्यायालय में प्रस्तुत होने पर बाद जॉच दर्ज रजिस्टर किया जाकर विपक्षीगण को जरिये सम्मन तलब किया गया। पत्रावली में विपक्षीगण की ओर से अधिवक्ता श्री सी0पी0शर्मा एवं अधिवक्ता श्री भोलेश भट्ट द्वारा अपना अधिकार पत्र प्रस्तुत किया गया। विपक्षीगण राजेश कुमार निलेश कुमार रितेश कुमार पिता रतनलाल जी मु0 श्यामाबाई बेवा रतलाल जी मु0 सन्दरवाई बेवा भंवरलाल जी विजयकुमार पारसकुमार पिता कन्हैयॉलाल मु0 कमलाबाई बेवा कन्हैयालाल की ओर से जवाब प्रस्तुत कर निवेदन इस प्रकार से किया गया कि वर्णित आराजीयात हम विपक्षीगण के नाम रेवेन्यु रिकोर्ड में खातेदारी में दर्ज होना स्वीकार है।

यह कि प्रार्थना पत्र की कलम सं0 2 जानकारी के अभाव में अस्वीकार है। हम विपक्षीगण को इसकी जानकारी नहीं है क्यो कि उक्त वर्णित आराजीयात हम विपक्षीगण के नाम रेवेन्यु रेकार्ड में दर्ज आवश्य है लेकिन मौके पर आराजी पर कब्जा काश्त विपक्षी 3 अशोक कुमार का है , वह ही इस आराजीयात का उपयोग उपभोग कर रहा है, राहखातेदार होने के कारण नाम अंकन किया है जबकि हमे इसकी जानकारी नहीं है। कलम संख 3 व 4 जानकारी के अभाव में अस्वीकार हैं। कलम संख्या 5, 6व 7 कानूनी होने से जवाब की आवश्यक नहीं है।

अतः श्रीमान से निवेदन है कि जवाब प्रार्थना पत्र स्वीकार फरमाया जाकर हम विपक्षीगण के विरूद्ध कार्यवाही ड्रोप फरमाई जावें।

जवाब के साथ ही एक प्रार्थना पत्र भी उपरोक्त विपक्षीगण की ओर से प्रस्तुत करते हुए निवेदन किया है कि प्रकरण मे हम सहखातेदार होने से पक्षकार बनाये है जबकि प्रकरण मुंख्य आरोपी अशोक कुमार है जिनके विरूद्ध हमारे द्वारा ही रिपोर्ट की गई है अतः हमारे विरूद्ध कार्यवाही को ड्रोप फरमाया जावे व विपक्षी अशोक कुमार को दण्डित किये जाने का आदेश प्रदान कराया जावें।

प्रार्थना पत्र का जवाब विपक्षी श्री अशोक कुमार द्वारा प्रस्तुत करते हुए निवेदन इस प्रकार से किया कि प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अस्वीकार है। मुझ विपक्षी ने कभी भी कोई वृक्ष नहीं काटे गए है। प्रार्थना पत्र की सभी कलम को अस्वीकार करते हुए जवाब के विशेष कथन में निवेदन किया कि मुझ विपक्षी व अन्यसहखातेदारान विपक्षीगण के मध्य आपसी रंजिश होने की वजह से विपक्षीसं0 1 के द्वारा राजस्व कर्मचारियों से मिलीभगत करते हुए मुझ विपक्षी के विरूद्ध गलत प्रकरण दर्ज कराया है क्यो कि पूर्व में विपक्षी संख्या तीन के साथ विपक्षी संख्या एक व उसके परिजनो ने मारपीट की थी जिसका प्रकरण विपक्षी संख्या तीन द्वारा थाना बेगूँ में दर्ज करवाया गया था जिसमें विपक्षी संख्या एक सहित अन्य को न्यायालय ए0सी0जे0एम सा बेगूँ के यहा चालान पेश हुआ है। इसी रंजिश की वजह से विपक्षी संख्या एक व अन्य विपक्षी द्वारा मुझ विपक्षी के विरूद्ध षडयन्त्र रच उसके झूठे फंसाने के लिए मिलीभगत कर यह प्रकरण दर्ज कराया है जो चलने योग्य नहीं है।

अतः श्रीमान आपसे प्रार्थना है कि जवाब प्रार्थना पत्र स्वीकार फरमा प्रार्थना पत्र प्रार्थी सव्यय खारिज किए जाने का आदेश प्रदान करावें।

इस पत्रावली में जप्तशुदा लकडी को निलाम किए जाने हेतु तहसीलदार बेगूँ को पत्र लिखा गया जिसकी पालना में लकडी निलामी बोली श्री चुन्नीलाल पिता प्यारचन्द्र निवासी माधोपुर की सार्वाधिक बोली रूपये 180/– रही जिसकी स्वीकृती इस न्यायालय द्वारा जारी कर तहसीलदार को राशि जमा कराने हेतु लिखा गया, जिसकी पालना में जरिये चालान कमांक 73 दिनांक 15.02.2024 से राशि 180/– रूपये राजकोष के खाते में जरये बैंक चालान जमा कराये जाने की सूचना प्राप्त हुई जो शामिल पत्रावली की गई।

प्रार्थना पत्र का जवाब प्रर्थना पत्र विपक्षीगण द्वारा प्रस्तुत किए जाने के पश्चात प्रार्थी की ओर से साक्ष्य हेतु शपथ पत्र श्री मोहनलाल पिता माधोलाल गुज्जर निवासी सहण तहसील नैनवा जिला बून्दी द्वारा बयान कलमबद्ध कराते हुए प्रार्थना पत्र अनुसार ही साक्ष्य प्रस्तुत कर बताया कि श्री अशोक कुमार पिता प्यारचन्द्र द्वारा खसरा नम्बर 2 व 3/4 की भूमि वनज 2 क्विंटल 3 सुबबूल एक छोटा नीम अवैध काटे जाने का उल्लेख किया है। द्वितीय साक्ष्य मोहनलाल पिता माधवलाल गुर्जर नायब तहसीलदार पारसोली द्वारा साक्ष्य शपथ पत्र पेश किए है जिसमें भी प्रार्थना पत्र अनुसार बयान दर्ज कराये गये हैं। प्रकरण में विपक्षीगण की ओर से कोई साक्ष्य प्रस्तुत नहीं की गई है।

पत्रावली में साक्ष्य पूर्ण होने के उपरान्त हमारे द्वारा उभयपक्ष की बहस को ध्यानपूर्वक सुना गया। तहसीलदार बेगूँ प्रार्थी द्वारा अपनी बहस प्रार्थना पत्र अनुसार करते हुए विपक्षी के विरूद्ध जुर्माना राशि आरोपित किये जाने का निवेदन किया गया, जबकि विपक्षीगण संख्या 1 व 2 द्वारा सहखातेदारान होने से नाम अंकित किया जाने का निवेदन करते हुए वृक्ष विपक्षी संख्या 3 के द्वारा काटे जाने का कथन किया है, जबकि विपक्षी अशोक कुमार के अधिवक्ता ने विपक्षी द्वारा कोई भी वृक्ष नहीं काटे जाने की बात अपनी बहस में कही है।

हमारे द्वारा बहस सुने जाने के उपरान्त हमारे द्वारा पत्रावली में प्रस्तुत दस्तावेज का अवलोकन किया गया, नकल नक्शाट्रेस व नकल जमाबंदी मौजा कल्याणपुरा प0ह0 धामंचा की सम्वत 2064 से 67 का अवलोकन हमारे द्वारा किया गया, आराजी संख्या 3/4, 10/4, 232/1, 233मी. कीता–5 कुल रकवा 0.9700 हैक्टर भूमि के खातेदार श्री ज्ञानमल प्रकाश सुरेश कैलाश पिता हीरालाल कंचनबाई बेवा हीरालाल महाजन सा0सोदर्शनपुरा दर्ज अंकित है। जबकि आराजी संख्या 5 व 10/5 कीता–2 कुल रकवा 0.2130 हैक्टर भूमि के खातेदार श्री राजेश कुमार निलेश कमार रितेश कुमार पिता रतनलाल मु0श्यामबाई बेवा रतनलाल रितेश ना.बा.स.प. माता श्यामाबाई मु. सुन्दरबाई बेवा भंवरलाल 1/4 विजयकुमार पारसकुमार पिता कन्हैयॉलाल मु0 कमलाबाई बेवा कन्हैयॉलाल 1/4 व ज्ञानमल सुरेश प्रकाश कैलाश पिता हीरालाल मु0 कंचनबाई बेवा हीरालाल 1/4 शांतिलाल पिता कजोडीमल 1/4 महाजन निवासी सोदर्शनपुरा खातेदार दर्ज अंकित है। पटवारी हल्का धामंचा की रिपोर्ट के अनुसार मौजा कल्याणपुरा की आराजी संख्या 2 व 3/4 के बीच मेर पर तीन बिलायती शिवबबूल व एक छोटा शिशु नीम का वृक्ष छोटी छोटी टहनियां व वृक्ष कटा हुआ पाया गया। यह कि वृक्ष छोटे होकर तने करीब एक फिट परिधी के व लम्बाई करीबन दस फीट की है व गिली लकडी का वनज अनुमानित 2 क्विटंल है। प्रार्थी कैलाश चन्द्र ने इन वृक्षो को भी अशोक कुमार पिता प्यारचन्द्र कोठारी निवासी बेगूँ द्वारा कटवाना बताया गया। भूमि पर अशोक कुमार का कब्जा होना बताया इसी प्रकार से पार्चामौका रिपोर्ट भी तैयार कर शामिल पत्रावली कि गई।

पत्रावली में प्रस्तुत सभी दस्तावेज एवं पर्चामौका तथा प्राथी की ओर से प्रस्तुत बयानो का अवलोकन हमारे द्वारा किया गया। पर्चामौका में भी तीन विलायती शिवबबूल व एक छोटा शिशु नीम के काटे जाने का कथन अंकित किया है। बयानो के अवालोकन से पाया कि केवल साक्ष्य शपथ पत्र प्रस्तुत किये गये है, उनका मुख्य परीक्षण भी नहीं कराया गया है, मोहनलाल पिता माधोलाल गुर्जर जो कि नायब तहसीलदार पारसोली है का साक्ष्य शपथ पत्र दिनांक 28.07.2010 को एवं उन्हीं का साक्ष्य शपथ पत्र तारीख अंकित नहीं कर दो बार प्रस्तुत किया है, किसी विपक्षी अधिवक्ता द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य पर जिरह का मुख्य परीक्षण नहीं कराया गया है, कोई अन्य स्वतंत्र गवाह इस बाबत प्रस्तुत नहीं किया है कि उक्त वृक्षो की कटाई गैरसायल अशोक कुमार द्वारा कब की गई है। साथ ही नायब तहसीलदार पारसोली का क्षैत्राधिकार नहीं है, साथ विपक्षी अशोक कुमार द्वारा उक्त वृक्षो को काटे जाने बाबत शिकायत जिस प्रार्थी द्वारा की गई उसके बयान भी नहीं करवाये गये है। नकल जमाबंदी के अवलोकन से पाया कि विपक्षी श्री अशोक कुमार कोठारी सहखातेदार अंकित नहीं है, तो उनके द्वारा खातेदारान अन्य विपक्षीगण के खाते की आराजी संख्या 2 व 3/4 से कैसे कब्जा करते हुए वृक्ष काट लिये गये, खातेदारान द्वारा प्रथम इत्तिला रिपोर्ट क्यो नहीं की गई, साथ ही न्यायालय में कार्यवाही क्यो नहीं की गई। एवं विलायती शिव बबूल व एक छोटा नीम जिसकी छोटी छोटी टहनिया काटे जाने का उल्लेख मौका पर्चा व पटवारी रिपोर्ट मे किया गया है वह अवैध वृक्ष कटान मे नहीं आते है। विपक्षी अशोक कुमार द्वारा उनके जवाब में वृक्ष नहीं काटे जाने का कथन कहा है, तथा अन्य खातेदारान से रंजिश होने के कारण उनको अपराधी बनाने का कथन अपने जवाब में किया है।तो अशोक कुमार द्वारा अवैध रूप से वृक्ष काटे जाने का कथन को प्रार्थी ने अपने साक्ष्य दस्तावेज के द्वारा सिद्ध कराने में असफल रहे है। सभी खातेदारान द्वारा जब अपराध ही नहीं किया तो उन्हें विपक्षी किन कारणो से बनाया गया है। यह सभी तथ्य प्रस्तुत प्रार्थना पत्र से स्पष्ट नहीं होते है। साथ ही विलायती बबूल काटे जाने पर कार्यवाही किया जाना न्यायसंगत प्रतीत नहीं है।

इस प्रकार प्रार्थी का प्रार्थना पत्र दस्तावेजी साक्ष्य से सिद्ध नही होता है। प्रार्थना पत्र खारिज किया जाने योग्य पाया जाता है।

अतः प्रार्थी तहसीलदार (भूमिधारी) बेगूँ द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 84–86 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम का दस्तावेजी साक्ष्य से सिद्ध होने से एतद् द्वारा खारिज किया जाता है।

आदेश आज दिनांक 14.10.2024 को लिखाया जाकर सरे ईजलास सुनाया गया ।

(मनस्वी नरेश)
सहायक कलेक्टर
(उपखण्ड अधिकारी) बेगूँ